

मांग संख्या .
मुख्य शीर्ष 2049

मद क्रमांक 1

म.प्र. राज्य विकास ऋण के नवीन ऋण के ब्याज भुगतान हेतु रुपये 133.80 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,33,80,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

मध्यप्रदेश राज्य आपूर्ति निगम को राज्य शासन की वचनबद्धता पर बैंक से लिये गये ऋण तथा कार्यशील ऋण पर ब्याज राशि के प्रदाय हेतु राशि रुपये 106.47 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मांग संख्या ..
मुख्य शीर्ष 6003

मद क्रमांक 1

5 प्रतिशत नगर भूमि (उच्चतम सीमा एवं विनियमन अधि. 1976) (म.प्र. बाण्डस) के भुगतान हेतु पृथक से व्यय शीर्ष स्थापित किया जाना है। भुगतान वित्तीय बजट प्रावधान से किया जा सकेगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मांग संख्या 01
मुख्य शीर्ष 2012

मद क्रमांक 1

राजभवन सचिवालय के बैंकलाक के प दो की भर्ती हेतु म.प्र. व्यवसायिक परीक्षा मंडल को भुगतान हेतु राशि रुपये 3.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

राज्यपाल (उपलब्धियां भत्ते एवं विशेषाधिकार) अधिनियम 1982 की अनुसूची-1 के अनुसार महामहिम राज्यपाल के शासकीय आवास एवं साज-सज्जा के नवीनीकरण के लिये रुपये 2.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

राज भवन के लिये पांच नवीन वाहनों के क्रय हेतु रुपये 25.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2052

मद क्रमांक 4 - 6

सामान्य प्रशासन विभाग के महत्वपूर्ण कार्य के संचालन हेतु नवीन वाहन क्रय मद में रुपये 21.00 लाख, परिवहन व्यवस्था के लिये रुपये 150.00 लाख तथा वाहन अनुरक्षण के लिये रुपये 0.54 लाख इस प्रकार कुल रुपये 171.54 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,71,54,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2053

मद क्रमांक 7 - 11

लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2010 के अंतर्गत संचालित लोक सेवा केन्द्रों को दूरभाष सुविधा, लेखन सामग्री, परिवहन व्यवस्था, लघु निर्माण कार्य

एवं उपकरण क्रय हेतु वर्ष के दौरान रुपये 408.25 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,08,25,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2055

मद क्रमांक 12 - 13

राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के अंतर्गत अवकाश यात्रा सुविधा हेतु राशि रुपये 2.00 लाख एवं चिकित्सा अग्रिम हेतु रुपये 5.00 लाख इस प्रकार कुल रुपये 7.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2059

मद क्रमांक 14

मध्याह्न भवन, नई दिल्ली में वरिष्ठ अतिथियों के कक्षों में परिवर्तन आदि हेतु रुपये 10.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2070

मद क्रमांक 15

प्रशासन अकादमी की व्यवसायिक सेवाओं की अदायगी के लिये वर्ष के दौरान रुपये 20.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 16

लोकायुक्त कार्यालय में पदस्थ न्यायिक सेवा के अधिकारियों के मकान किराया भत्ता हेतु राशि रुपये 4.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 17

लोकायुक्त कार्यालय में विशेष भर्ती अभियान के तहत व्यवसायिक परीक्षा मंडल के माध्यम से पदों की भर्ती की जाना है। इस हेतु व्यवसायिक परीक्षा मंडल को परीक्षा शुल्क के भुगतान हेतु राशि रुपये 6.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4059

मद क्रमांक 18

लोक सेवा केन्द्रों के भवनों के निर्माण कार्य के लिये बजट में मद खोला जाना आवश्यक है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 02

मुख्य शीर्ष 2070

मद क्रमांक 1 - 6

यूनियम कार्बाईड जहरीली गैस रिसाव जांच आयोग भोपाल के अंतर्गत मकान किराया भत्ता एवं अन्य भत्ते हेतु बजट में मद खोला जाना है इसके साथ ही अवकाश यात्रा सुविधा के लिये रुपये 3.00 लाख, वर्दियों के लिये 15,000 अन्य प्रभार के लिये रुपये 3.00 लाख एवं वाहन अनुरक्षण के लिये रुपये 50,000 इस प्रकार कुल रूपये 6,65,200 की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,65,200 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7 - 8

राज्य सत्कार कार्यालय हेतु कार्यालयीन व्यय के अंतर्गत डाक एवं तार मद एवं परिवहन व्यवस्था हेतु बजट में मद खोला जाना है। राशि की व्यवस्था

उपलब्ध बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

राज्य सूचना आयोग कार्यालय हेतु वाहन क्रय के लिये राशि रुपये 2.35 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,35,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 03
मुख्य शीर्ष 2055

मद क्रमांक 1

पुलिस अकादमी सागर के अंतर्गत चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु मद में राशि रुपये 3.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

अपराधिक, अन्वेषण योजना के अंतर्गत उपकरण क्रय के लिये राशि रुपये 887.52 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,87,52,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3 - 4

लोक अभियोजन संचालनालय के अंतर्गत बैकलाग के पदों को भरने के लिये व्यावसायिक परीक्षा मंडल को शुल्क देने हेतु राशि रुपये 12.50 लाख एवं नव नियुक्त ए.डी.पी.ओ. के रिफरेशर कोर्स प्रशिक्षण हेतु राशि रुपये 12.50 लाख कुल राशि रुपये 25.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत आंतरिक सुरक्षा सुदृढीकरण के लिये मटेरियल का क्रय किया जाना है, जिसपर राशि रुपये 289.95 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,89,95,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश के अंतर्गत 35 वीं वाहिनी वि.स.बल मंडला में भूमि का क्रय/अधिग्रहण हेतु मद खोले जाने के लिये रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। राशि उपलब्ध बजट की बचतों से पुर्नविनियोजित की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

प्रदेश के थानों के सुदृढीकरण के लिये थानों हेतु फर्नीचर का क्रय किया जाना है, जिसपर राशि रुपये 809.13 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,09,13,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश के अंतर्गत हॉक फोर्स के जवानों को प्रशिक्षण के लिये राशि रुपये 1.77 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है। राशि की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,77,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

पुलिस प्रशिक्षण शालाओं के उन्नयन मद के अंतर्गत वर्ष के दौरान वाहनों के प्रतिस्थापन हेतु राशि रुपये 63.94 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 63,94,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10

ग्राम रक्षक समितियों के लिये बिजली एवं जल प्रभार हेतु राशि रुपये 1.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 11 - 12

पुलिस महानिदेशक मध्यप्रदेश के अंतर्गत दूरसंचार शाखा के तकनीशियनों एवं आपरेटरों को प्रशिक्षण देने एवं अभिभाषकों की फीस के भुगतान हेतु मद खोला जाना है। राशि की व्यवस्था उपलब्ध बजट की बचतों से पुनर्विनियोजित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 13

पुलिस महानिदेशक मध्यप्रदेश के अंतर्गत उपनिरीक्षकों एवं आरक्षकों के पदों की भर्ती के लिये राशि रुपये 20.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2216

मद क्रमांक 14

पुलिस कर्मियों के आवासों की मरम्मत के लिये राशि रुपये 2.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4055

मद क्रमांक 15

पुलिस महानिदेशक मध्यप्रदेश के अंतर्गत पुलिस कार्यालय एवं आवास के निर्माण हेतु वर्ष के दौरान राशि रुपये 2.50 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 16

नक्सल प्रभावित क्षेत्र, जिला बालाघाट के अंतर्गत 12 थानों के सुदृढीकरण के लिये राशि रुपये 3.75 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,75,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 17

पुलिस प्रशिक्षण शालाओं के उन्नयन हेतु वर्ष के दौरान राशि रुपये 5.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 04

मुख्य शीर्ष 2070

मद क्रमांक 1 - 2

अधीक्षक, म.प्र. स्टेट गैरैज के अंतर्गत विशेष वेतन मद में वित्तीय वर्ष के दौरान राशि रुपये 24,000 का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 24,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2216

मद क्रमांक 3

संचालक, संपदा संचालनालय के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ कर्मचारियों के भविष्य निधि अंशदान हेतु राशि रुपये 1.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 4

संचालक, सैनिक कल्याण मध्यप्रदेश की बेबसाईट एवं कम्प्यूटरीकृत साफ्टवेयर के निर्माण एवं सुधार हेतु राशि रुपये 2.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 06

मुख्य शीर्ष 2075

मद क्रमांक 1

संचालनालय पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा भोपाल के लिये नवीन वाहन क्रय करने हेतु रुपये 5.00 लाख की आवश्यकता है। उक्त व्यय स्वीकृत बजट की बचत से किया जावेगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

जिला पेंशन कार्यालयों के अनुरक्षण एवं रख-रखाव के लिये रुपये 30.00 लाख की आवश्यकता है। जिसकी व्यवस्था विभाग उपलब्ध बजट की बचत से करेगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4885

मद क्रमांक 3

मध्यप्रदेश वित्त निगम की अंशपूजी में धनवेष्ट हेतु राशि रुपये 5.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 07

मुख्य शीर्ष 2039

मद क्रमांक 1

आबकारी आयुक्त ग्वालियर कार्यालय में जिला कार्यपालिक स्थापना में प्रतिस्थापन के तौर पर वाहन क्रय हेतु राशि रुपये 52.00 लाख के अतिरिक्त अनुदान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 52,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2040

मद क्रमांक 2 - 3

वाणिज्यिक कर विभाग में स्थानांतरण यात्रा भत्ता एवं फर्नीचर अनुरक्षण के अंतर्गत रुपये 5.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है। इस व्यय की पूर्ति पुनर्विनियोजन से की जाएगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4 - 5

वाणिज्यिक कर विभाग में स्थानांतरण यात्रा भत्ता एवं फर्नीचर एवं मशीन उपकरण का अनुरक्षण के अंतर्गत रुपये 6.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है। इस व्यय की पूर्ति पुनर्विनियोजन से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजना हेतु रुपये 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	08
मुख्य शीर्ष	2053

मद क्रमांक 1

तहसील नेपानगर जिला बुरहानपुर को नवीन राजस्व अनुभाग गठित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु एक नवीन वाहन क्रय करने के लिये रुपये 5.50 लाख का व्यय संभावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	10
मुख्य शीर्ष	2406

मद क्रमांक 1 - 2

वन विभाग के अन्तर्गत वन रक्षक, वनपालो, क्षेत्रीय कर्मचारियों एवं वनक्षेत्रपालों के प्रशिक्षण हेतु तथा वन विद्यालयों में रिडिंग मटेरियल एवं अन्य संसाधन हेतु रुपये 95.20 लाख का व्यय अनुमानित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जाएगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

प्रधान मुख्य संरक्षक कार्यालय अंतर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर रिट याचिकाओं में शासन की ओर से पैरवी करने के लिये वरिष्ठ अधिवक्ता की फीस के भुगतान हेतु रुपये 8.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	11
मुख्य शीर्ष	2230

मद क्रमांक 1

उद्योग संचालनालय (रोजगार प्रभाग) मुख्यालय भोपाल को संचालनालय स्तर पर भ्रमण, पर्यवेक्षण बैठकों आदि में भाग लेने हेतु दो पूल वाहन किराये पर लेने हेतु राशि रुपये 3.56 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,56,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	2851
-------------	------

मद क्रमांक 2

परिक्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर तथा 27 जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों में परिवहन व्यवस्था अंतर्गत 27 वाहन किराये से लिये जाने हेतु राशि रुपये 46.60 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 46,60,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	2852
-------------	------

मद क्रमांक 3

परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय जबलपुर तथा 27 जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों में परिवहन व्यवस्था मद के अंतर्गत 1 वाहन किराये से लेने हेतु राशि रुपये 1.80 लाख व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,80,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4 - 5

म.प्र. राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड के स्वैच्छिक समापन के पूर्व न्यायालयीन प्रकरण एवं विधिक बंदीकरण कार्य करने के लिये कर्मचारियों के वेतन एवं व्यय के भुगतान हेतु रुपये 12.00 लाख तथा चार न्यायालयीन प्रकरणों के डिक्रीधन के भुगतान हेतु राशि रुपये 88,98,800 इस प्रकार कुल राशि रुपये 1,00,98,800 की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 12,00,000 के अनुपूरक अनुदान एवं रुपये 88,98,800 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

मेसर्स राजकुमार मिल्स की विधिक बंदीकरण में सहायता तथा परिसंपत्तियों की सुरक्षा पर व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति हेतु नवीन मद के रूप में राशि रुपये 21,14,100 का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 21,14,100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

म.प्र. ट्रेड फेयर अथारिटी को आर्थिक सहायता मद के अंतर्गत नवीन मद खोलते हुये रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4851

मद क्रमांक 8

आटो टेस्टिंग ट्रेक हेतु भू-अर्जन मुआवजा के लिये राशि रुपये 38,97,98,400 का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 38,97,98,400 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

भू-अर्जन, सर्वे एवं डिमाकेशन, सर्विस चार्ज के लिये राशि रुपये 27,06,99,800 का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 27,06,99,800 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 12

मुख्य शीर्ष 2801

मद क्रमांक 1

गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से बिजली की व्हीलिंग हेतु विद्युत वितरण कंपनियों हेतु व्हीलिंग सब्सिडी मद में रुपये 2.40 करोड़ की राशि म.प्र. पाँवर मैनेजमेंट कंपनी/विद्युत वितरण कंपनियों को उपलब्ध कराई जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,40,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

कृषकों को नवीन विद्युत कनेक्शन योजना अंतर्गत रुपये 92.00 करोड़ की राशि म.प्र. पाँवर मैनेजमेंट कंपनी/उत्तरवर्ती कंपनियों को उपलब्ध कराई जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 92,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 6801

मद क्रमांक 3

विद्युत वितरण कंपनियों के लिये रुपये 600.00 करोड़ की अतिरिक्त राशि कार्यशील पूंजी हेतु अल्पावधि ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

म.प्र. पाँवर जेनरेटिंग कंपनी हेतु रुपये 200.00 करोड़ की अतिरिक्त राशि कार्यशील पूंजी हेतु अल्पावधि ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	13
मुख्य शीर्ष	2401

मद क्रमांक 1

संचालक, कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल के अंतर्गत मैक्रो मनेजमेंट कृषि यंत्रीकरण के लिये राशि रुपये 1121.30 लाख की आवश्यकता है। इसमें राज्यांश रुपये 112.13 लाख तथा केन्द्रांश रुपये 1009.17 लाख है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11,21,30,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2 - 3

संचालक, कृषि अभियांत्रिकी भोपाल के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत यंत्रीकृत खेती को बढ़ावा देने हेतु राशि रुपये 1760.52 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 17,60,52,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4 - 8

संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश भोपाल के अंतर्गत मेक्रोमनेजमेंट योजना के क्रियान्वयन हेतु राशि रुपये 3191.63 लाख की आवश्यकता है। इसमें राज्यांश रुपये 319.16 लाख तथा केन्द्रांश राशि रुपये 2872.47 लाख है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 31,91,63,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	15
मुख्य शीर्ष	2401

मद क्रमांक 1

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों की जिला पंचायतों में केन्द्र प्रवर्तित मेक्रोमनेजमेंट योजना अंतर्गत 90 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 10 प्रतिशत राज्यांश के रुप में व्यय किया जावेगा। भारत सरकार से प्राप्त सहमति अनुसार इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना में रुपये 5.40 लाख केन्द्रांश एवं रुपये 0.60 लाख राज्यांश के रुप में कुल रुपये 6.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	16
मुख्य शीर्ष	2405

मद क्रमांक 1 - 2

मछुआ कल्याण बोर्ड हेतु वेतन भत्ते तथा कार्यालय व्यय हेतु रुपये 78.37 लाख के व्यय की संभावना है। व्यय की पूर्ति बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	17
मुख्य शीर्ष	2425

मद क्रमांक 1

पंजीयक सहकारी संस्थायें के अंतर्गत आरक्षित बैकलाक के पदों पर चयन हेतु आयोजित परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थियों की परीक्षा तथा यात्रा व्यय पर राशि रुपये 0.57 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 57,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

पंजीयक सहकारी संस्थायें के अंतर्गत प्रदेश में कृषि उपज के भण्डार के लिये भण्डार गृह निर्माण हेतु अनावर्ती व्यय के रुप में रुपये 375.00 लाख

का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,75,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

पंजीयक सहकारी संस्थायें के अंतर्गत सहकारी न्यायाधिकरण के लिये मशीन तथा उपकरणों के अनुरक्षण पर रुपये 0.50 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

बीज संघ को बीज उत्पादकता को बढ़ावा देकर कृषकों को उत्तम गुणवत्ता का बीज उपलब्ध कराने हेतु बीज संघ को स्थापना एवं प्रबंधकीय अनुदान हेतु रुपये 187.50 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,87,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

बीज संघ को अधोसंरचना विकास एवं प्रबंध व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से गोदाम एवं ग्रेडिंग प्लांट हेतु अनुदान के रूप में रुपये 150.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4425

मद क्रमांक 6

प्रदेश में नवीन सहकारी संस्थाओं को अंशपूजी सहायता हेतु अनावर्ती व्यय के रूप में रुपये 75.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 75,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

प्राथमिक विपणन समितियों का सुदृढ़ीकरण के लिये धनवेष्टन हेतु रुपये 157.50 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,57,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

बीज संघ को गोदाम एवं बीज प्रक्रिया संयंत्र की स्थापना के लिये अंशपूजी में धनवेष्टन हेतु रुपये 150.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

प्रदेश में अक्षम पैक्स एवं लैम्पस समितियों को सहायता कार्यक्रम हेतु राशि रुपये 225.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 6425

मद क्रमांक 10

नाबार्ड की प्रत्याभूत ऋण की अदायगी के लिये मध्यप्रदेश राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा निर्गमित ऋणपत्रों के क्रय हेतु रुपये 4345.47 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 43,45,47,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 11

प्राथमिक विपणन समितियों का सुदृढ़ीकरण के लिये ऋण तथा अग्रिम हेतु रुपये 157.50 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,57,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	18
मुख्य शीर्ष	2210

मद क्रमांक 1 - 3

कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें के अंतर्गत राज्य बीमा चिकित्सालय के लिये विशेष सेवाओं के लिये मानदेय हेतु रुपये 2.00 लाख, वाहन अनुरक्षण हेतु रुपये 30,000 तथा दवाईयों के क्रय हेतु रुपये 100.00 लाख इस प्रकार कुल रुपये 102.30 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,02,30,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4 - 5

कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें के अंतर्गत लेखन सामग्री हेतु रुपये 2.00 लाख, वाहन अनुरक्षण हेतु रुपये 75,000 इस प्रकार कुल रुपये 2.75 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,75,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	2230
-------------	------

मद क्रमांक 6

श्रम न्यायालय अंतर्गत फर्नीचर क्रय हेतु रुपये 50,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

श्रमायुक्त अंतर्गत फर्नीचर क्रय हेतु मद खोला जाना है, व्यय की व्यवस्था उपलब्ध बजट की बचतों से पुनर्विनियोजित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

औद्योगिक न्यायालय अंतर्गत फर्नीचर क्रय हेतु रुपये 50,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेतु फर्नीचर क्रय मद खोला जाना है, व्यय की व्यवस्था उपलब्ध बजट की बचतों से पुनर्विनियोजित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	19
मुख्य शीर्ष	4210

मद क्रमांक 1

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत 13 मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय (रायसेन, बैतूल, राजगढ़, सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल, झाबुआ, अलीराजपुर, जबलपुर, गुना, मुरैना, नीमच एवं रतलाम), 15 सिविल अस्पतालों में ओ.पी.डी. (नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़, आष्टा जिला सीहोर, सिरोंज जिला विदिशा, नसरुल्लागंज जिला सीहोर, अम्बाहा जिला मुरैना, वारासिवनी जिला बालाघाट, रांझी जिला जबलपुर, गाडरवाड़ा जिला नरसिंहपुर, बीना जिला सागर, जावद जिला नीमच, जावरा जिला रतलाम, शुजालपुर जिला शाजापुर, महिदपुर जिला उज्जैन, मैहर जिला सतना एवं अमरपाटन जिला सतना), 15 सिविल अस्पतालों में मेडिसिन स्टोर (नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़, आष्टा जिला सीहोर, सिरोंज जिला विदिशा, नसरुल्लागंज जिला सीहोर, अम्बाहा जिला मुरैना, वारासिवनी जिला बालाघाट, रांझी जिला जबलपुर, गाडरवाड़ा जिला नरसिंहपुर, बीना जिला सागर, जावद जिला नीमच, जावरा जिला रतलाम, शुजालपुर जिला शाजापुर, महिदपुर जिला उज्जैन, मैहर जिला सतना एवं अमरपाटन जिला सतना), 40 जिला चिकित्सालयों में मदरवार्ड (बैतूल, बड़वानी, बालाघाट, भिण्ड, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, देवास, धार, गुना, होशंगाबाद, खण्डवा, खरगौन, मण्डला, मंदसौर, मुरैना, राजगढ़, रतलाम सागर, सतना, सिवनी, शहडोल, शिवपुरी, उज्जैन, अलीराजपुर, अनूपपुर, भोपाल, दतिया, ग्वालियर, हरदा,

झाबुआ, कटनी, नीमच, रायसेन, सीहोर, शाजापुर, श्योपुर, सीधी, टीकमगढ़ एवं उमरिया, 20 जिला सिविल अस्पतालों में 2 एफ टाईप तथा 4 जी टाईप आवश्यक क्वार्टर (नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़, आष्टा जिला सीहोर, सिरोंज जिला विदिशा, नसरुल्लागंज जिला सीहोर, जे.एस.आर. इतरसी जिला होशंगाबाद, अम्बाहा जिला मुरैना, ग्वालियर जिला ग्वालियर, डबरा जिला ग्वालियर, वारासिवनी जिला बालाघाट, रांझी जिला जबलपुर, गाडरवाड़ा जिला नरसिंहपुर, बीना जिला सागर, हटा जिला दमोह, जावद जिला नीमच, जावरा जिला रतलाम, शुजालपुर जिला शाजापुर, महिदपुर जिला उज्जैन, गरोठ जिला मंदसौर, मैहर जिला सतना एवं अमरपाटन जिला सतना) तथा 51 सी एच सी सिविल अस्पतालों में पेशेंट अटेन्डेन्ट शेड (घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल, भैसदेही जिला बैतूल, बैरसिया जिला भोपाल, खिरकिया जिला हरदा, सिवनीमालवा जिला होशंगाबाद, पिपरिया जिला होशंगाबाद, बीनागंज जिला रायसेन, बरेली जिला रायसेन, नसरुल्लागंज जिला सीहोर, मनावर जिला धार, धामनोद जिला धार, सरदारपुर जिला धार, कुक्षी जिला धार, बदनावर जिला धार, पानसेमल जिला बड़वानी, सांवेर जिला इंदौर थांदला जिला झाबुआ, पेटलावद जिला झाबुआ, जोबट जिला अलीराजपुर, खालवा जिला खण्डवा, चंदेरी जिला अशोकनगर, लहार जिला भिण्ड, मेहगांव जिला भिण्ड, राघोगढ़ जिला गुना, आरोन जिला गुना, भितरवार जिला ग्वालियर, सबलगढ़ जिला मुरैना, कैलारस जिला मुरैना, विजयपुर जिला श्योपुर, करैरा जिला शिवपुरी, पिछोर जिला शिवपुरी, बदरवास जिला शिवपुरी, कटंगी जिला बालाघाट, लांजी जिला बालाघाट, मझौली जिला जबलपुर, विजयराघोगढ़ जिला कटनी, लखनादौन जिला सिवनी, करेली जिला नरसिंहपुर, नौगांव जिला छतरपुर, बड़ामलहरा जिला छतरपुर, अजयगढ़ जिला पन्ना, देवरी जिला सागर, जतारा जिला टीकमगढ़, पृथ्वीपुर जिला टीकमगढ़ बाजना जिला रतलाम, सोनकच्छ जिला देवास, नागौद जिला सतना, अमरपाटन जिला सतना, रामपुरनैकिन जिला सीधी एवं चितरंगी जिला सिंगरौली), 25 जिला अस्पतालों में रिवायरिंग, एम.सी.बी. बाक्स कन्ट्रोल पेनल विद्युतिकरण (बैतूल, बड़वानी, बालाघाट, भिण्ड, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, देवास, धार, गुना, होशंगाबाद, जबलपुर, खण्डवा, खरगौन, मंडला, मंदसौर, मुरैना, राजगढ़, रतलाम, सागर, सतना, सिवनी, शहडोल, शिवपुरी एवं उज्जैन) 30 जिला चिकित्सालयों में सीवर लाईन चेम्बर सेप्टिक टैंक (बैतूल, बड़वानी, बालाघाट, भिण्ड, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, देवास, धार, गुना, होशंगाबाद, जबलपुर, खण्डवा, खरगौन, मंडला, मंदसौर, मुरैना, राजगढ़, रतलाम, सागर, सतना, सिवनी, शहडोल, शिवपुरी, उज्जैन, अलीराजपुर, अनूपपुर, सीहोर, शाजापुर एवं रायसेन) 3 स्थानों पर जीएनएम सेन्टर में 50 सीटेड हॉस्टल बिल्डिंग (रतलाम, छिंदवाड़ा एवं खण्डवा) एवं 10 जिला चिकित्सालयों में मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन स्टोर एवं काउन्टर (राजगढ़, छतरपुर, होशंगाबाद, सीधी, रतलाम, झाबुआ, बालाघाट, गुना, सतना एवं दतिया) के निर्माण हेतु राशि रुपये 8201.00 लाख व्यय संभावित है। जो वित्तीय वर्ष 2012-13 में एक मुश्त केन्द्रीय सहायता से प्राप्त राशि से व्यय की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 20
मुख्य शीर्ष 2215

मद क्रमांक 1 - 6

कार्यभारित/आकस्मिकता सेवा के कर्मचारियों के वेतन भत्ते हेतु रुपये 6.00 लाख की राशि की आवश्यकता है। जिसकी पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 600 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

एक नवीन निरीक्षण वाहन लागत रुपये 6,44,000 से क्रय किया जाना है। जिसकी पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

स्थानीय संस्थाओं की जल प्रदाय योजनाओं का संधारण योजना अंतर्गत रुपये 2.00 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4215

मद क्रमांक 9

नवगठित राज्य जल निगम में राज्य शासन की अंशपूजी निवेश में रुपये 18.00 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 18,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 21
मुख्य शीर्ष 2217

मद क्रमांक 1 - 5

आवास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत नगर एवं ग्राम निवेश के कार्यभारित आकस्मिकता सेवा के कर्मचारियों का वेतन मद में रुपये 5.70 लाख का व्यय होने की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,70,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

आवास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत संचालक नगर तथा ग्राम निवेश के लिये नवीन मद खोलते हुये सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य हेतु रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4217

मद क्रमांक 7

लोकायुक्त कार्यालय के भवन निर्माण के रूपांकन एवं सर्वेक्षण आदि हेतु रुपये 10.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 22
मुख्य शीर्ष 2217

मद क्रमांक 1 - 3

म.प्र. सफाई कामगार आयोग के गठन हेतु आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को मकान किराया भत्ता, मानदेय एवं परिवहन व्यवस्था राशि के भुगतान के लिये राशि रुपये 7.86 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,86,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 23
मुख्य शीर्ष 4700

मद क्रमांक 1

बाण सागर परियोजना यूनिट-दो में निर्माण कार्य खनिज विकास निधि से किया जाना प्रस्तावित है। अतः बजट के व्यय शीर्ष में तदनुसार व्यवस्थित करने के लिये रुपये 1.00 लाख की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4701

मद क्रमांक 2

ठिकारिया मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य में चालू वित्तीय वर्ष में रुपये 10.00 करोड़ व्यय संभावित है। जिसकी पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 24
मुख्य शीर्ष 3053

मद क्रमांक 1

डुमना (जबलपुर) एयरपोर्ट मार्ग की प्रकाश व्यवस्था हेतु राशि रुपये 225.18 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,25,18,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

राजमार्गो/मुख्य जिला मार्गों का नवीनीकरण, उन्नतिकरण एवं डामरीकरण हेतु राशि रुपये 50.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3 - 7

निष्पादन योजना अंतर्गत स्थापना मद में वेतन, भत्ते मद में व्यय के लिये रुपये 39.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 39,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

मुख्यालय स्थापना के अंतर्गत बिजली एवं जल प्रभार के अंतर्गत व्यय के लिये रुपये 14,98,200 की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 14,98,200 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 5053

मद क्रमांक 9

देवी अहिल्याबाई होलकर विमानतल, इन्दौर के लिये भू-अर्जन के मुआवजा भुगतान हेतु रुपये 34.60 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 34,60,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10

जिला खण्डवा एवं सतना स्थित हवाई पट्टी में संधारण/नवीनीकरण हेतु रुपये 1120.22 लाख का व्यय आवश्यक है, जिसकी पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 5054

मद क्रमांक 11

चामला पुलिया खरसौद खुर्द कमानपुर खाचरोद मार्ग पर चामला नदी पर रुपये 465.00 लाख की लागत से पुल का निर्माण किया जाना है, जिसकी पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 12

वृहद पुलों के निर्माण नाबार्ड योजना अंतर्गत निम्नांकित 2 नवीन पुलों का निर्माण कार्य किया जाना है, जिसकी पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

क्र.	जिला	कार्य का नाम	लागत	प्रतीक प्रावधान
1.	उज्जैन	तहसील गुलान के अंतर्गत ग्राम सेमली से लोदिया-मुरादपुरा मार्ग पर मुरादपुरा के पास खाल पर 60 मीटर	147.00	100
2.	उज्जैन	शुजालपुर तहसील में दुग्धा से लहार खेड़ा मार्ग पर अजनई नदी पर 60 मीटर पुल	189.00	100
योग			336.00	200

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 13

सागर जिले के बीना शहर में बीना आगासोद मार्ग पर सम्पार क्रमांक 309सी/2इ (बीना झासी ट्रेक) एवं सम्पार 003 स्पेशल (बीना गुना ट्रेक आर.ओ.बी.) के निर्माण का कार्य रुपये 2197.93 लाख की लागत से किया जाना है। जिसकी पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 14

नाबार्ड वित्त पोषित योजना अंतर्गत निम्नांकित 16 नवीन सड़कों का निर्माण रुपये 11324.88 लाख में किया जाना प्रस्तावित है। लागत राशि की व्यवस्था स्वीकृत बजट से की जायेगी।

क्र.	जिला	कार्य का नाम	लंबाई	लागत	प्रतीक प्रावधान
1.	खरगौन	डोलनी से डाबरी मार्ग का निर्माण	8.00	320.00	100
2.	खरगौन	पानवा से रेगवां मार्ग का निर्माण	7.00	280.00	100
3.	खरगौन	टेमरनी से जलज्योति, खेड़ी मार्ग निर्माण	7.00	280.00	100
4.	खरगौन	बामन्दी से गवला 4 कि.मी. मार्ग का निर्माण	4.00	160.00	100
5.	खरगौन	बाडी से मुलठान 12.60 कि.मी. मार्ग का निर्माण	9.00	360.00	100
6.	छतरपुर	देवरा से झमटुली रोड़ का शेष कार्य मार्ग का निर्माण	30.00	1461.00	100
7.	छतरपुर	खजुराहो शहर की बायपास रोड़ का चौड़ीकरण कार्य	3.20	260.00	100
8.	सीहोर	रेवगांव से सावलखेड़ा मार्ग का निर्माण	3.00	156.03	100
9.	छतरपुर	सागर बांदा मार्ग एन.एच. 86 से गुरडीया ग्राम बायपास मार्ग का निर्माण	7.50	523.00	100
10.	छतरपुर	गढीमलहरा लवकुशनगर चंदला रोड़ 61.40 कि.मी. का उन्नयन	61.40	4800.00	100
11.	धार	पीथमपुर के खेड़ा मार्ग का निर्माण	1.50	390.00	100
12.	नरसिंहपुर	एन.एच. 02 से बिजौरा तक 05 कि.मी. सड़क का निर्माण	5.00	310.00	100
13.	नरसिंहपुर	डोभी से सिमरिया तक 10 कि.मी. सड़क का निर्माण	7.50	335.46	100
14.	नरसिंहपुर	ग्राम मेहगुवां से भामा तक 20 कि.मी सड़क का निर्माण	20.30	1158.79	100
15.	सीहोर	श्यामपुर से ठीकरीखेड़ तक मार्ग का निर्माण	3.00	180.00	100
16.	सीहोर	आष्टा में भोपाल नाके से मण्डी वाला रोड़ डबल मार्ग का निर्माण	2.00	350.00	100
योग			179.40	11324.88	1600

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1600 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 15

केन्द्रीय सड़क निधि अंतर्गत सड़क निर्माण में रुपये 25.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 16

बी.ओ.टी. परियोजना अंतर्गत सड़कों के विकास में भू-अर्जन के कार्य के लिये राशि रुपये 38.45 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है। इस राशि की व्यवस्था अन्य मदों से समर्पण कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 38,45,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मांग संख्या 25
मुख्य शीर्ष 2853

मद क्रमांक 1

खनिज साधन विभाग में बैकलॉग पदों की पूर्ति हेतु व्यावसायिक परीक्षा मंडल के माध्यम से परीक्षा आयोजित कराने के लिये रुपये 6.00 लाख का व्यय होना संभावित है। व्यय की प्रतिपूर्ति अन्य मदों में संभावित बचत से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 26
मुख्य शीर्ष 2205

मद क्रमांक 1

संस्कृति विभाग के अंतर्गत बौद्ध सम्मेलन, जनजातीय और लोक कलाकारों की पंचायत तथा म.प्र. स्थापना दिवस समारोहों के लिये राशि रुपये 350.00 लाख के व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

संस्कृति विभाग के अंतर्गत निर्देशन एवं प्रशासन में बैकलॉग पदों की पूर्ति हेतु परीक्षा शुल्क के लिये रुपये 6.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 3

संस्कृति विभाग के अंतर्गत आजाद स्मृति मंदिर स्मारक संबंधी कार्य हेतु रुपये 40.00 लाख व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 40,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 29
मुख्य शीर्ष 2052

मद क्रमांक 1

विधि विभाग के अंतर्गत एक नवीन वाहन क्रय करने के लिये रुपये 5,92,300 की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,92,300 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2 - 3

रजिस्ट्रार माध्यमस्थ अभिकरण के अंतर्गत शासकीय आवासों की साज-सज्जा मद में रुपये 55,000 एवं परिवहन व्यवस्था हेतु रुपये 2.50 लाख इस प्रकार कुल रुपये 3.05 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,05,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 31
मुख्य शीर्ष 3454

मद क्रमांक 1 - 21

छठवीं आर्थिक गणना अन्तर्गत वेतन, मजदूरी, यात्रा भत्ता, परीक्षा एवं प्रशिक्षण, व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां तथा विज्ञापन एवं प्रचार हेतु रुपये 75.09 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 75,09,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 33
मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 1

आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत अभिभाषकों की फीस हेतु राशि रुपये 5.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

आदिमजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत बिजली एवं जल प्रभार हेतु राशि रुपये 30.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 37
मुख्य शीर्ष 3452

मद क्रमांक 1

पर्यटन विभाग के वाहन अनुरक्षण कार्य हेतु नवीन मद खोलते हुये राशि रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 39
मुख्य शीर्ष 2408

मद क्रमांक 1 - 2

खाद्य विभाग के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ में कार्यालयीन व्यय हेतु रुपये 2.00 लाख के व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न उपार्जन हेतु प्रोत्साहन पर राशि रुपये 258.12 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,58,12,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

अस्थाई केप निर्माण में हुई हानि की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रुपये 101.00 करोड़ के व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,01,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 3475

मद क्रमांक 5

खाद्य विभाग के अन्तर्गत नियंत्रक नाप-तौल, म.प्र. भोपाल कार्यालय हेतु कार्यकारी मानक प्रयोगशाला सह कार्यालय भवन के निर्माण पर राशि रुपये 18.00 लाख व्यय होने की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

खाद्य विभाग के अंतर्गत व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियों के लिये रुपये 6.00 लाख के व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 40

मद क्रमांक 1

राजघाट कमांड क्षेत्र विकास अन्तर्गत करेक्शन आफ सिस्टम डिफिशियेंसी कार्यों हेतु रुपये 1000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 41

मुख्य शीर्ष 2203

मद क्रमांक 1 - 5

विश्व बैंक पोषित तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के तहत आदिवासी क्षेत्र उपयोगना में रुपये 1.00 लाख केन्द्रांश एवं रुपये 0.33 लाख राज्यांश के रूप में कुल रुपये 1.33 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,33,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

विश्व बैंक पोषित तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत इंजीनियरिंग महाविद्यालय को अनुदान हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना में रुपये 46.00 लाख केन्द्रांश एवं रुपये 15.35 लाख राज्यांश के रूप में कुल रुपये 61.35 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 61,35,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 7

आदिवासी क्षेत्रों में केन्द्र प्रवर्तित मेक्रोमेनेजमेन्ट योजना अंतर्गत कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत 90 प्रतिशत केन्द्रांश के रूप में एवं 10 प्रतिशत राज्यांश के रूप में व्यय किया जावेगा। भारत सरकार से प्राप्त सहमति अनुसार इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना में रुपये 186.30 लाख केन्द्रांश एवं रुपये 20.70 लाख राज्यांश के रूप में कुल रुपये 207.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,07,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

आदिवासी क्षेत्रों में यंत्रीकृत खेती को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार से अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की सहमति अनुसार वित्तीय वर्ष में आदिवासी क्षेत्रों उपयोगना में रुपये 237.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,37,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9 - 11

आदिवासी क्षेत्रों में केन्द्र प्रवर्तित मेक्रोमेनेजमेन्ट योजना अंतर्गत 90 प्रतिशत केन्द्रांश के रूप में एवं 10 प्रतिशत राज्यांश के रूप में व्यय किया जावेगा। भारत सरकार से प्राप्त सहमति अनुसार इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना में रुपये 543.52 लाख केन्द्रांश एवं रुपये 60.39 लाख राज्यांश के रूप में कुल रुपये 603.91 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,03,91,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4702

मद क्रमांक 12

आदिवासी क्षेत्रों में सिंचित क्षेत्र बढ़ाने एवं आदिवासी वर्ग के कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निम्नांकित योजनाओं के निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

क्र.	योजना का नाम	जिला	विकास खंड	लागत (रु. लाखों में)
1.	घनश्यामपुरा तालाब	बुरहानपुर	खकनार	206.93
2.	इटोरे तालाब	अनूपपुर	पुष्पराजगढ	444.42

3. बारोड बैराज झाबुआ झाबुआ 497.30

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 13

आदिवासी क्षेत्रों में सिंचित क्षेत्र बढ़ाने एवं आदिवासी वर्ग के कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ए.आई.बी.पी. योजना अन्तर्गत निम्नांकित योजनाओं का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

क्र.	योजना का नाम	जिला	विकास खंड	लागत (रु. लाखों में)
1.	डाबरी तालाब	रतलाम	बाजना	324.32
2.	अम्बापाडा तालाब	धार	बदनावर	345.26
3.	कोठार तालाब	धार	तिरला	244.00
4.	पैलवाह तालाब	शहडोल	गाहपारु	453.58
5.	मुरेना तालाब	शहडोल	सोहागपुर	912.18
6.	कचोदर तालाब	उमरिया	पाली	532.19
7.	धनवाही डायलर्शन योजना	उमरिया	करकेली	2447.60
8.	जामूननाला तालाब	बुरहानपुर	खकनार	481.50
9.	नान्दुराकलां तालाब	बुरहानपुर	खकनार	543.94
10.	कावेली तालाब	बालाघाट	परसवाडा	1160.30
11.	पचमा तालाब	बालाघाट	बैहर	1058.02

उपरोक्त योजनाओं हेतु प्रतीक प्रावधान तथा स्वीकृत सिंचाई योजनाओं हेतु इस वित्तीय वर्ष में उपलब्ध प्रावधान के अतिरिक्त रुपये 2179.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 21,79,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 6801

मद क्रमांक 14

कृषि उपयोग के लिये स्वतंत्र फीडर की व्यवस्था योजना में ऋण तथा अग्रिम हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 17904.00 लाख की आवश्यकता है, व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतो की की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 15

पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण योजना में ऋण तथा अग्रिम हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 3619.00 लाख की आवश्यकता है, व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतो की की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 16

उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण योजना में ऋण तथा अग्रिम हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 12382.00 लाख की आवश्यकता है, व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतो की की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 44

मद क्रमांक 1

चित्तकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय को पोषण अनुदान के लिये रुपये 100.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

विभिन्न न्यायालयीन प्रकरणों में जारी आदेशों के पालनार्थ डिक्रीधन के भुगतान हेतु रुपये 20.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मांग संख्या 45

मुख्य शीर्ष 4702

मद क्रमांक 1 - 2

लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण कार्य हेतु रुपये 5000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है। समतुल्य राशि मांग संख्या 23 से समर्पित कर उपलब्ध करायी जायेगी, तथा निम्नांकित योजनाओं का भी निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। जिसकी प्रतिपूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी:-

क्र.	योजना का नाम	जिला	लागत (लाख में)	सिंचाई क्षमता	अनुदान राशि (रुपये में)
1.	शंकरपुर तालाब	रीवा	379.47	190.00	100
2.	गजार वियर	विदिशा	291.87	410.00	100
3.	आमाछर वियर	विदिशा	204.32	256.00	100
4.	धतुरिया चौबिसा स्टाप डेम	विदिशा	244.11	326.00	100
5.	नरखेड़ाघाट बैराज	विदिशा	270.56	300.00	100
6.	इमलिया बैराज	विदिशा	203.79	260.00	100
7.	मेहरखेड़ी बैराज	विदिशा	208.75	244.00	100
8.	रामपुरा परसुखेड़ी बैराज	विदिशा	219.43	263.00	100
9.	रामगरहा संगखेड़ी बैराज कम काजवे	विदिशा	324.81	352.00	100
10.	मरखेड़ा बैराज कम काजवे	विदिशा	394.39	352.00	100
11.	खैखेड़ा बैराज	विदिशा	155.73	175.00	100
12.	हर्खेड़ी बैराज	विदिशा	107.88	120.00	100
13.	लालाखेड़ी बैराज	विदिशा	174.83	190.00	100
14.	खेरूआहात बैराज	विदिशा	101.33	124.00	100
15.	पिरोथा बैराज	विदिशा	409.80	650.00	100
16.	महनाघात	विदिशा	380.51	300.00	100
17.	इनहेन सीमेन्ट केच ऑफ दाहोद टेंक	रायसेन	126.42	0.00	100
18.	सिपनिया तालाब	धार	422.08	308.00	100
19.	धनौदा बैराज	राजगढ़	204.84	310.00	100
20.	सरेडी बैराज	राजगढ़	265.17	285.00	100
21.	जिवाजीपुर बैराज	राजगढ़	266.62	290.00	100
22.	टोंका तालाब	राजगढ़	744.52	345.00	100
23.	बरायठा बैराज	राजगढ़	225.40	350.00	100
24.	हालूखेड़ी बैराज	राजगढ़	123.99	185.00	100
25.	टोलीघटा बैराज	राजगढ़	174.48	190.00	100

26. चकरौद बैराज	राजगढ़	175.85	120.00	100
27. पालाबेह तालाब	राजगढ़	513.22	250.00	100
28. जुनापानी तालाब	राजगढ़	550.16	275.00	100
29. अमरेड तालाब	राजगढ़	364.41	165.00	100
30. डोब तालाब	राजगढ़	1439.95	740.00	100
31. बरजरंग वियर	टीकमगढ़	247.37	310.00	100
32. तिकोनाघाट तालाब	टीकमगढ़	547.16	286.00	100
33. कवाघाट तालाब	टीकमगढ़	824.43	519.00	100
34. बहादुरगढ़ तालाब	टीकमगढ़	1936.72	982.00	100
35. डगरा वियर	दतिया	251.00	350.00	100
36. करारिया तालाब	दमोह	777.88	400.00	100
37. कन्जुरा मडिया तालाब	दमोह	227.83	250.00	100
38. धरनावदा बमरिया स्टापडेम	गुना	220.82	450.00	100
39. कुमारडी नौगांव बैराज	उज्जैन	266.51	270.00	100
40. चमलेश्वर बैराज	उज्जैन	224.90	350.00	100
41. बड़खोला तालाब	सीहोर	1118.25	528.00	100
42. गुराडिया तालाब	सीहोर	2002.50	940.00	100
43. आगरा पटरानी बैराज	सीहोर	190.93	270.00	100
44. धौलपुर बैराज	सीहोर	119.93	170.00	100
45. मनासा टम्पर बैराज	सीहोर	120.24	150.00	100
46. बोर्दी तालाब	सीहोर	485.29	238.00	100
47. अरनियामीना सालिड वियर	मन्दसौर	174.15	195.00	100
48. भरतपुरा सालिड वियर	मन्दसौर	321.92	396.00	100
49. रनायरा गरडावद	मन्दसौर	740.70	331.00	100
50. पिली करार बैराज	शाजापुर	232.20	275.00	100
51. सिहुडी तालाब	कटनी	696.74	360.00	100
52. आलोद तालाब	नरसिंहपुर	800.20	500.00	100
53. बेसरा मनिहारी तालाब	अशोकनगर	289.20	145.00	100
54. सुनारनदी पर ढोडा साहजपुरी वियर	सागर	225.25	162.00	100
55. कोपरा नदी पर पडरिया वियर	सागर	244.87	173.00	100
56. गोपालपुर वियर	सागर	196.92	136.00	100
57. सुवाकर वियर	सागर	127.85	97.00	100
58. सुनारनदी पर बमुरघात वियर	सागर	259.78	194.00	100
59. सुनारनदी पर खेजरा वियर	सागर	220.31	162.00	100
60. गोधरी नदी पर परासिया वियर	सागर	162.97	115.00	100
61. कोपरा नदी पर विजयपुरा छला वियर	सागर	161.02	144.00	100
62. कोपरा नदी पर धुनाघाट वियर	सागर	290.74	216.00	100
63. बिलहरी तालाब	सागर	1150.23	517.00	100
64. हिलगन तालाब	सागर	3645.85	1674.00	100
65. सेन्टपा तालाब में बेलई नाला फिडर	छतरपुर	287.91	1172.00	100
66. देवपुर नं. 2 तालाब	छतरपुर	480.39	220.00	100
67. सत्तीधर तालाब	छिंदवाड़ा	1538.15	770.00	100

68. बसाड डायवर्सन योजना उमरिया 1127.81 7.00 100

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान एवं रुपये 6800 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

सुधार, सुदृढीकरण एवं पुर्नस्थापन की निम्नांकित सिंचाई योजनाओं का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। जिसकी प्रतिपूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी:-

क्र.	योजना का नाम	जिला	लागत (लाख में)	सिंचाई क्षमता	अनुदान राशि (रुपये में)
1.	सीताधोनगर	बालाघाट	130.21	185.00	100
2.	मसनी तालाब	बालाघाट	215.60	299.00	100
3.	बन्ना तालाब	बालाघाट	159.77	217.00	100
4.	जंगला तालाब	बालाघाट	303.48	428.00	100
5.	रामगढ़ी पिकअप वियर	बालाघाट	1197.66	1205.00	100
6.	गरदा तालाब	बालाघाट	101.23	129.00	100
7.	मन्दवाजहरी तालाब	बालाघाट	142.42	146.00	100
8.	आमानाला तालाब	बालाघाट	109.75	497.00	100
9.	अहमेदपुर तालाब	बालाघाट	142.64	411.00	100
10.	भांगरानाला तालाब	बालाघाट	268.97	598.00	100
11.	अमागांव तालाब	बालाघाट	170.43	329.00	100
12.	डोकारिया चापा पिकअप	बालाघाट	268.97	541.00	100
13.	भिमोरी तालाब	बालाघाट	154.12	246.00	100
14.	सरेखा तालाब	बालाघाट	139.90	302.00	100
15.	मोहखेड़ी तालाब	छिंदवाड़ा	248.47	473.00	100
16.	तवा तालाब	छिंदवाड़ा	151.10	453.00	100
17.	उमरानाला तालाब	छिंदवाड़ा	227.40	248.00	100
18.	मोहगांव तालाब	सिवनी	155.54	362.00	100
19.	खापा तालाब	सिवनी	147.84	374.00	100
20.	बैरद तालाब	शिवपुरी	119.30	625.00	100
21.	मधार तालाब	शिवपुरी	200.65	914.00	100
22.	हरदी तालाब	शहडोल	102.11	319.00	100
23.	चान्दनिया तालाब	शहडोल	151.80	236.00	100
24.	लातर तालाब	अनूपपुर	110.84	421.00	100
25.	मेहगांव टोला तालाब	जबलपुर	487.45	1250.00	100
26.	बरनु तालाब	जबलपुर	526.46	1416.00	100
27.	मदाई तालाब	जबलपुर	577.63	1175.00	100
28.	मोहरी तालाब	जबलपुर	305.18	542.00	100
29.	धुनधर तालाब	मंडला	166.87	1000.00	100
30.	पोण्डी तालाब	दमोह	137.11	445.00	100
31.	तेजगढ़ तालाब	दमोह	478.65	1028.00	100
32.	रिछाई तालाब	दमोह	178.90	230.00	100
33.	सीलखेड़ा तालाब	सीहोर	116.40	352.00	100
34.	कंकरखेड़ा तालाब	सीहोर	168.86	300.00	100
35.	छापर तालाब	सीहोर	117.34	375.00	100
36.	भोरवरदा तालाब	बड़वानी	170.67	720.00	100

37. सालखेड़ा तालाब	बड़वानी	132.72	775.00	100
38. चोरबोराली तालाब	झाबुआ	112.45	801.00	100
39. पम्पावती तालाब	झाबुआ	200.98	950.00	100
40. बगेड़ी तालाब	धार	674.94	1015.00	100
41. गोविन्दपुरा तालाब	धार	211.66	687.00	100
42. बारमंडल तालाब	धार	138.16	540.00	100
43. सेमलदा तालाब	धार	203.90	841.00	100
44. कुण्डा तालाब	धार	211.71	1458.00	100
45. उमरिया तालाब	धार	284.71	380.00	100
46. मानसरोवर तालाब	धार	165.62	600.00	100
47. रुपानियाखाल तालाब	रतलाम	481.23	1990.00	100
48. पिपलिया सीहोर तालाब	रतलाम	151.10	536.00	100
49. कोल्वाखेड़ी तालाब	रतलाम	151.16	927.00	100
50. भमरिया नाला तालाब	रतलाम	124.05	328.00	100
51. विरला तालाब	खरगौन	106.34	445.00	100
52. नवलपुरा तालाब	खरगौन	222.71	934.00	100
53. उंटखेड़ा तालाब	खरगौन	105.48	188.00	100
54. लाछोरा तालाब	खरगौन	208.03	385.00	100
55. गडीगलतार तालाब	खरगौन	191.53	1157.00	100
56. बानगंगा तालाब	खरगौन	177.01	596.00	100
57. भाडवाली तालाब	खरगौन	138.90	400.00	100
58. पडिल्दा तालाब	खरगौन	236.07	658.00	100
59. गवलान तालाब	खरगौन	215.21	950.00	100
60. जिरभर तालाब	खरगौन	441.03	1417.00	100
61. चन्दनपुरा तालाब	खरगौन	150.77	466.00	100
62. हीरापुर तालाब	खरगौन	109.56	226.00	100
63. जमनिया तालाब	खरगौन	153.95	305.00	100
64. जैतवाही तालाब	खरगौन	174.63	324.00	100
65. कालापाथा तालाब	खरगौन	165.47	414.00	100
66. अम्बकनाला तालाब	खरगौन	1442.62	1998.00	100
67. वर्षभानपुरा तालाब	टीकमगढ़	111.55	252.00	100
68. नन्दनवारा तालाब	टीकमगढ़	617.57	1990.00	100
69. जैरोन तालाब	टीकमगढ़	104.16	545.00	100
70. मदनसागर आहर तालाब	टीकमगढ़	292.35	910.00	100
71. मोहनगढ़ तालाब	टीकमगढ़	165.81	557.00	100
72. पदमसागर तालाब	टीकमगढ़	133.85	380.00	100
73. नकतारा तालाब	सतना	207.89	511.00	100

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7300 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4 - 5

ए.आई.बी.पी. योजनाओं के अन्तर्गत निर्माणाधीन लघु सिंचाई योजनाओं के लिये रुपये 7500.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है। जिसकी पूर्ति मांग संख्या 23-4700 आयोजना अंतर्गत राशि समर्पित कर की जायेगी। तथा निम्नांकित सिंचाई योजनाओं का निर्माण कार्य भी किया जाना प्रस्तावित है। जिसकी प्रतिपूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी:-

क्र.	योजना का नाम	जिला	लागत (लाख में)	सिंचाई क्षमता	अनुदान राशि (रुपये में)
------	--------------	------	-------------------	---------------	----------------------------

1. सरौंधा तालाब	सिंगरौली	455.38	210.00	100
2. इंदौर तालाब	अशोकनगर	396.75	199.00	100
3. देशवाड़ी तालाब	बैतूल	481.00	225.00	100
4. देहगुड़ तालाब	बैतूल	3991.17	1975.00	100
5. गुरारखेड़ा बैराज	राजगढ़	208.40	190.00	100
6. सलारी बैराज	राजगढ़	159.51	110.00	100
7. मुण्डला लघु सिंचाई परि.	राजगढ़	5750.00	3430.00	100
8. बांकपुर लघु सिंचाई परि.	राजगढ़	5497.00	3240.00	100
9. छिर्ता तालाब	खरगौन	1289.29	580.00	100
10. पिपलोदा बैराज	झाबुआ	558.71	700.00	100
11. नेगाडिया बैराज	झाबुआ	771.92	800.00	100
12. यामची तालाब	झाबुआ	723.00	727.00	100
13. टिटकी बैराज	झाबुआ	689.86	800.00	100
14. यासुडानाला	सिवनी	1158.02	550.00	100
15. इन्द्रावती नदी पर अवली बैराज खरगौन		118.74	100.00	100
16. बारोड नदी पर डोंगरगांव बैराज खरगौन		111.18	70.00	100
17. दबक तालाब	छिंदवाड़ा	235.17	110.00	100
18. पटाडी तालाब	रतलाम	274.37	125.00	100
19. ढेकल्ला तालाब	धार	696.46	370.00	100
20. पिपरोदा केशराज वियर	गुना	222.57	350.00	100
21. इमलिया घाट वियर	दमोह	223.38	210.00	100
22. धनगौर वियर	दमोह	120.46	108.00	100
23. रियाना तालाब	दमोह	188.50	130.00	100
24. सुखेला खागर बैराज वियर	दमोह	172.44	116.00	100
25. भरारी तालाब	उमरिया	627.72	317.00	100
26. करके की म.उ. तालाब	गुना	2518.81	1150.00	100

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 75,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान तथा रुपये 2600 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

डिक्रीधन के भुगतान हेतु राशि रुपये 5.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मांग संख्या	47
मुख्य शीर्ष	2203

मद क्रमांक 1

तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं में अध्ययनरत ग्रीन कार्डधारी अभिभावकों की संतानों को शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 200.00 लाख अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

तकनीकी शिक्षा अंतर्गत अनुदान प्राप्त गैर सरकारी तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को पोषण अनुदान हेतु रुपये 700.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2230

मद क्रमांक 3 - 4

कौशल विकास संचालनालय अंतर्गत यात्रा भत्ता तथा परीक्षा एवं प्रशिक्षण हेतु राशि रुपये 75.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 75,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में पेट्रोल, तेल आदि मद में रुपये 2.00 लाख व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6 - 8

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में राष्ट्रीय छात्र सेना के अन्तर्गत वेतन भत्ते एवं सामग्री एवं पूर्तियां हेतु रुपये 14.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 14,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 51

मुख्य शीर्ष 2250

मद क्रमांक 1 - 3

धर्मार्थ योजनान्तर्गत फर्नीचर, परामर्श सेवाओं के अंतर्गत रुपये 7.00 लाख एवं परिवहन व्यवस्था हेतु 1.60 लाख का व्यय संभावित है। फर्नीचर तथा परामर्श सेवाओं के व्यय की प्रतिपूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी तथा परिवहन व्यवस्था हेतु रुपये 1.60 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,60,200 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

माफी विभाग अंतर्गत दूरभाष व्यय हेतु रुपये 15 हजार का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

तीर्थ यात्रा के लिये राजसहायता योजना अंतर्गत रुपये 38.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 38,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 52

मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 1

आदिवासी क्षेत्रों की जिला पंचायतों में केन्द्र प्रवर्तित मेक्रोमेनेजमेन्ट योजना अंतर्गत 90 प्रतिशत केन्द्रांश के रूप में एवं 10 प्रतिशत राज्यांश के रूप में व्यय किया जावेगा। भारत सरकार से प्राप्त सहमति अनुसार इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना में रुपये 1.80 लाख केन्द्रांश एवं रुपये 0.20 लाख राज्यांश के रूप में कुल रुपये 2.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 55

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 1 - 51

महिला सशक्तिकरण संचालनालय की स्थापना के कारण विभिन्न उद्देश्य शीर्ष की मदों को खोला जाना है, जिसपर रुपये 4.60 करोड़ का व्यय संभावित है। मदों में होने वाले व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,000 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान तथा 100 के प्रतीक विनियोग की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 52

बाल अधिकार संरक्षण आयोग अंतर्गत मकान किराया भत्ता मद में राशि रुपये 12.50 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 12,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 53

एकीकृत बाल विकास सेवा संचालनालय में अन्य प्रभार के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य के लिये रुपये 102.60 लाख की आवश्यकता है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 54 - 55

सूचना एवं प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य अंतर्गत संचालनालय एकीकृत बाल विकास एवं संचालनालय महिला सशक्तिकरण हेतु सामग्री और पूर्तियां एवं अन्य प्रभार में लगभग रुपये 1.00 करोड़ का व्यय संभावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 400 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 56 - 57

एकीकृत बाल विकास सेवा योजना में अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के वेतन भत्तों, मकान किराया भत्ता एवं ग्रेड पे हेतु रुपये 2.90 लाख का व्यय अनुमानित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	56
मुख्य शीर्ष	2851

मद क्रमांक 1

आयुक्त, हाथकरघा संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल के अंतर्गत केन्द्रीय कार्यालय में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के वेतन भत्ते हेतु राशि रुपये 1.08 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,08,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

आयुक्त हाथकरघा के अंतर्गत प्रचलित योजनाओं के सुचारु क्रियान्वयन हेतु एक नवीन वाहन क्रय करने पर राशि रुपये 7.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

आयुक्त हाथकरघा संचालनालय के अंतर्गत हाथकरघा बुनकरों के लिये वित्तीय पैकेज हेतु राशि रुपये 37.50 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 37,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	63
मुख्य शीर्ष	2225

मद क्रमांक 1

सचिव म.प्र. राज्य अल्पसंख्यक आयोग के लिये नवीन वाहन क्रय हेतु राशि रुपये 3.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 64
मुख्य शीर्ष 2203

मद क्रमांक 1 - 6

विश्व बैंक पोषित तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जाति उपयोजना में रुपये 2.00 लाख केन्द्रांश एवं रुपये 0.67 लाख राज्यांश के रूप में कुल रुपये 2.67 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,67,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

विश्व बैंक पोषित तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत इंजीनियरिंग महाविद्यालय को अनुदान हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना में रुपये 96.00 लाख केन्द्रांश एवं रुपये 32.01 लाख राज्यांश के रूप में कुल रुपये 128.01 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,28,01,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 8 - 10

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में केन्द्र प्रवर्तित मेक्रोमेनेजमेन्ट योजना अंतर्गत 90 प्रतिशत केन्द्रांश के रूप में एवं 10 प्रतिशत राज्यांश के रूप में व्यय किया जावेगा। भारत सरकार से प्राप्त सहमति अनुसार इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना में रुपये 1018.20 लाख केन्द्रांश एवं रुपये 113.13 लाख राज्यांश के रूप में कुल रुपये 1131.33 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11,31,33,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 11

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में केन्द्र प्रवर्तित मेक्रोमेनेजमेन्ट योजना अंतर्गत कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत 90 प्रतिशत केन्द्रांश के रूप में एवं 10 प्रतिशत राज्यांश के रूप में व्यय किया जावेगा। भारत सरकार से प्राप्त सहमति अनुसार इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना में रुपये 357.03 लाख केन्द्रांश एवं रुपये 39.67 लाख राज्यांश के रूप में कुल रुपये 396.70 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,96,70,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 12

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में यंत्रीकृत खेती को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार से अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की सहमति अनुसार वित्तीय वर्ष में अनुसूचित जाति उपयोजना में रुपये 175.60 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,75,60,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 6801

मद क्रमांक 13

कृषि उपयोग के लिये स्वतंत्र फीडर की व्यवस्था योजना में ऋणा तथा अग्रिम हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 14239.00 लाख की आवश्यकता है, व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतो की की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 14

पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण योजना में ऋणा तथा अग्रिम हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 2914.00 लाख की आवश्यकता है, व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतो की की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 15

उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण योजना में ऋणा तथा अग्रिम हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 9359.00 लाख की आवश्यकता है, व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतो की की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	66
मुख्य शीर्ष	2225

मद क्रमांक 1 - 17

नवीन जिला कार्यालयों हेतु सृजित किये गये पदों के वेतन भत्तों तथा कार्य संचालन के लिये राशि रुपये 4.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 18

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक विभाग के लिये अनुपयोगी वाहन के बदले नया वाहन क्रय किये जाने हेतु राशि रुपये 3.05 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,05,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 19

राज्य सेवा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल के फर्नीचर व उपकरण हेतु राशि रुपये 3.97 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,97,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 20

वेतन भत्ते मद के अन्तर्गत मकान किराया भत्ता का शीर्ष पृथक से स्थापित किया जाना है। इस मद में आवश्यक राशि की पूर्ति विभाग द्वारा पुनर्विनियोजन द्वारा की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	72
मुख्य शीर्ष	2210

मद क्रमांक 1

भोपाल गैस त्रासदी राहत गैस दुर्घटना दावा संचालनालय में व्यवसायिक सेवाओं की अदायगी हेतु राशि 1.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	2235
-------------	------

मद क्रमांक 2

भोपाल गैस त्रासदी राहत गैस दुर्घटना दावा संचालनालय में यात्रा भत्ता हेतु राशि 1.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	4235
-------------	------

मद क्रमांक 3

जीवन ज्योती कालोनी में आवासों की मरम्मत एवं जल अवरोधक कार्य हेतु राशि रुपये 50.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	73
मुख्य शीर्ष	2210

मद क्रमांक 1

कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र ग्वालियर में लीनियर एक्सिलरेटर मशीन स्थापित किये जाने हेतु राशि रुपये 120.00 लाख के व्यय की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर के आकस्मिक चिकित्सा सेवाओं के उन्नयन हेतु राशि रुपये 544.00 लाख के व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,44,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

नर्सिंग महाविद्यालय इंदौर में स्वशासी अंतर्गत नियुक्त कर्मचारियों को वेतन भुगतान हेतु राशि रुपये 3.05 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,05,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

चिकित्सा महाविद्यालयों में उनसे सम्बद्ध अस्पतालों में पोष्ट मार्टम व्यय के भुगतान के लिये राशि रुपये 25.00 लाख के व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

सागर चिकित्सा महाविद्यालय सागर में इनसीनेटर, दूषित जल उपचार संयंत्र की स्थापना एवं जल प्रदाय, नवीन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राशि रुपये 200.00 लाख के व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 74
मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 1 - 2

संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश भोपाल के अंतर्गत मेक्रोमैनेजमेंट योजना के क्रियान्वयन हेतु राशि रुपये 45.83 लाख की आवश्यकता है। इसमें राज्यांश रुपये 4.58 लाख तथा केन्द्रांश राशि रुपये 41.25 लाख है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 45,83,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 3604

मद क्रमांक 3

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर ग्राम पंचायतों को सहायता के अंतर्गत पेयजल के लिये विद्युत व्यय पूर्ति हेतु अनुदान पर रुपये 30.00 करोड़ व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 30,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 75
मुख्य शीर्ष 2217

मद क्रमांक 1

अर्बन स्टेटिक्स फॉर एच.आर. एण्ड एसेसमेंट हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि रुपये 85.20 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 85,20,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

राजीव आवास योजना हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत राज्यांश की राशि रुपये 12,57,37,000 एवं केन्द्रांश की राशि रुपये 1,86,68,000 कुल राशि रुपये 14,44,05,000 का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 14,44,05,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

अग्निशमन एवं सेवाओं के लिये केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत राज्यांश की राशि रुपये 62,39,500 एवं केन्द्रांश की राशि रुपये 2,49,58,000 कुल राशि रुपये 3,11,97,500 का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,11,97,500 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	76
मुख्य शीर्ष	2810

मद क्रमांक 1

प्रदेश में लघु जल परियोजना, पवन ऊर्जा, बायोमास, सौर ऊर्जा की परियोजनाओं की स्थापना अंतर्गत सर्वेक्षण कार्यों के लिये रुपये 50.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

प्रदेश में सौर/पवन ऊर्जा, पार्क की अधोसंरचना विकास हेतु एक मुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता राशि रुपये 40.00 करोड़ स्वीकृत हुआ है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	77
मुख्य शीर्ष	2202

मद क्रमांक 1

लोक शिक्षण संचालनालय अंतर्गत निर्धन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति तथा प्रतिभाशाली छात्रों को प्रोत्साहन योजना आयोजनेतर मद में स्थानांतरित होने के कारण रुपये 680.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,80,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।